**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.**

Land Dispute Appeal No.- 21/2023

***Md. Maihruddin.....Appellant***

***Versus***

***Md. Mehboob & Ors.....Respondents***

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **04-10-2024** | **—:आदेश:—**<br>प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा B.L.D.R वाद सं0— 09/2020—21 में दिनांक—07.11.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है।<br>उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत वाद अंचल के0 नगर, जिला— पूर्णिया अंतर्गत मौजा— बिठनौली खेमचन्द, थाना सं0— 24, खाता सं0— 1140, सिकमी खाता सं0— 323, रकवा—01.05 एकड़ विवादित भूमि है। अपीलार्थी के पिता— लांग लतीफ R.S. सर्वे के पहले से ही उक्त भूमि पर जोत—आबाद करते थे। R.S. सर्वे के समय स्व0 लांग लतीफ का नाम सिकमीदार के रूप में दर्ज होने के आधार पर वाद सं0— 08/76—77, दिनांक— 04.6.1976 में पारित आदेश के आलोक में इनके नाम से बंदोबस्त होकर लालकार्ड निर्गत हुआ तथा अपीलार्थी के पिता उक्त भूमि का नामांतरण कराते हुए शांतिपूर्ण दखलकार हुए। वर्श 2022—23 तक भू—लगान भुगतान करते आ रहे है। अपीलार्थी के पिता के मृत्योपरांत उनके एक मात्र वारिशान (अपीलार्थी) के दखल—कब्जे में है। किन्तु दिनांक— 15.03.2021 को उत्तरवादीगण द्वारा अपीलर्थी को डरा—धमका के उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किये जाने जैसे कृत्य के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया के न्यायालय में भू—विवाद वाद सं0— 09/20—21 दायर किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजातों पर बिना ध्यान दिए वाद खारिज कर दिया गया।<br>इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों के परे एवं अवैध है। उक्त भूमि इनके पिता लांग लतीफ लाल कार्ड प्राप्त कर जीवनपर्यन्त जोत—आबाद करते रहे तथा इनकी मृत्यु के बाद इनके वारिशान के रूप में एक मात्र पुत्र (अपीलार्थी) के दखल में है। किन्तु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा अपीलार्थी के समर्पित कागजातों/दस्तावेजों को दर—किनार कर केवल सिकमी खतियान के आधार पर उक्त भूमि पर उत्तरवादीगण का कब्जा मानना उचित नही है। क्योंकि खतियानी रैयत से अधिक लालकार्ड धारक का अधिकार होता है तथा बी0एल0डी0आर0 एक्ट के अंतर्गत अपीलार्थी को संरक्षण मिलनी चाहिए। उत्तरवादीगण अथवा उनके पूर्वजों के द्वारा Sec | |

Web copy. Not Official.

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **<u>लगातार</u>**<br>**04-10-2024** | 48(D) or 48(E) Bihar Tenancey Act के अंतर्गत सिकमी अधिकार होने का कोई दावा नही किये जाने के कारण इनका सिकमी अधिकार अधिकार नही<br>क्रमशः<br><br>है। उत्तरवादीगण अथवा इनके पूर्वजों द्वारा कभी लालकार्ड रद्दीकरण हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष कोई आवेदन समर्पित नही किया गया है। अपीलार्थी के पिता लांग लतीफ शिकमीदार के रूप में लम्बे समय से उक्त भूमि पर जोत–आबाद करते रहे। फलस्वरूप इनके नाम से लाल कार्ड निर्गत हुआ जिसपर उत्तरवादीगण का दावा किया जाना न्याय संगत नही है। निम्न न्यायालय का यह मानना कि विभाजन के बाद विवादित भूमि स्व0 शेख रफीक के हिस्से म आ गई तथा प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नही है तथा लाल–कार्डधारी (लांग लतीफ) के मृत्यु के बाद उनके वारिशान (अपीलार्थी) द्वारा अपने नाम से लालकार्ड निर्गत करवाने हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन समर्पित नही किया गया विधिक दृश्टिकोण से सही नही है। क्योंकि लाल–कार्डधारी के मृत्योपरांत उनके वारिशानों के बीच स्वतः हस्तांतरित होता है न कि कार्डधारी के रिश्तेदारों में विभाजित होता है। साथ ही लालकार्ड की मान्यता आर0एस0 खतियान एवं शिकमी खतियान से अधिक है और इस आधार पर विवादित भूमि पर उत्तरवादीगण का दावा सही नही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील विधिक दृश्टिकोण से पोशणीय नही है। क्योंकि अपील दायर करने में हुए विलंब को विलंब क्षांत करने हेतु आवेदन दाखिल नही किये जाने से प्रस्तुत वाद कालबाधित है। निम्न न्यायालय का पारित आदेश न्यायपूर्ण एवं युक्ति संगत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। मौजा– बिठनौली खेमचन्द, थाना सं0– 24, थाना–के0नगर, जिला– पूर्णिया, खाता सं0– 1140, शिकमी खाता सं0– 323, खेसरा सं0– 7063 का प्रश्नगत भूमि नरेन्द्र नारायण चौधरी व अन्य से संबंधित है। आर0एस0 खतियान के अनुसार शेख लौंग लतीफ, शेख अब्बास, शेख असीरूद्दीन और शेख रफीक, शेख सतोफ सभी पुत्र शेख दरप अली के नाम शिकमी खाता–323 दर्ज हुआ। शेख दरप अली के सभी पुत्र वर्श 1953 से उक्त खेसरा 7063 का शिकमीदार थे तथा सभी एक साथ संयुक्त रूप से उक्त खेसरा की भूमि पर दखलकार थे। भू–हदबंदी की कार्रवाई पश्चात सबसे बड़े भाई लौंग लतीफ क नाम से लालकार्ड निर्गत हुआ बावजूद इसके दखल–कब्जा को लेकर कभी विवाद नही हुआ और स्व0 दरप अली के पॉचो पुत्र उक्त खेसरा की भूमि पर बिना किसी विवाद के संयुक्त रूप से खेती–बाड़ी करते रहे। बंदोबस्वती के बाद स्व0 दरप अली ने अपने पॉचों पुत्रों के बीच मौखिक रूप से विभाजित कर | |

Web copy Not Official.

**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

Land Dispute Appeal No.- 21/2023

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **लगातार**<br>**04-10-2024** | दिया। विभाजन के बाद विवादित भूमि शेख रफीक के हिस्से में आया, जिसपर उत्तरवादी के पिता का 40 वर्श से अधिक दखल–कब्जे में है। हाल<br>क्रमशः<br><br>ही में लौंग लतीफ के इंतकाल हो जाने के बाद उनके पुत्र अपीलार्थी मेहरूद्दीन द्वारा उत्तरवादी के शांतिपूर्ण दखल में व्यवधान उत्पन्न करने लगे जबकि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कभी दखल नही रहा। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत तथा इस न्यायालय में दायर अपील वाद को विधि की दृश्टि में पोशणीय नही बताते हुए अपील को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत यह स्पश्ट है कि अपीलार्थी के पिता स्व0 लौंग लतीफ प्रश्नगत भूमि के शिकमीदार एवं लाल–कार्ड से बंदोबस्ती प्राप्त होने के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय ने यह पाया है कि प्रश्नगत भूमि का शिकमी खाता लौंग लतीफ के साथ अन्य भाईयों के नाम भी दर्ज है। तथा उत्तरवादी द्वारा उक्त भूमि का भू–लगान भुगतान किया जा रहा है और विवादित भूमि आपसी खानगी बॅटवारे में उत्तरवादी के पिता शेख लतीफ को प्राप्त है। जिस पर उत्तरवादी का दखल–कब्जा है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे निम्न न्यायालय आदेश खंडित हो सके।<br>अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं विधि सम्मत है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त को जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें।<br>लेखापित एवं सशोधित<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियॉ।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। | |

Web copy. Not Official.